अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-41/2020

एच.सी. अवस्थी,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय,
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकःलखनऊः नवम्बर 25, 2020

प्रिय,

प्रायः यह देखा गया है कि जिन अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के समयावधि/प्रशासनिक/जनहित एवं अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण आदेश मुख्यालय/जोन/परिक्षेत्र स्तर से निर्गत किये जाते हैं उन पर कार्यमुक्त की कार्यवाही समय से न करते हुए काफी विलम्ब से कार्यमुक्त किया जा रहा है। कार्यमुक्त न किये जाने के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

2– स्थानान्तरण आदेश के कियान्वयन हेतु पूर्व में दिशा निर्देश निर्गत करने के उपरान्त संबंधित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों को समय से कार्यमुक्त न किये जाने के कारण कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिकाये योजित की जा रही है। मा0 न्यायालय द्वारा समय से स्थानान्तरण आदेश पर कार्यमुक्त न किये जाने पर विभाग की कार्य प्रणाली पर एकरूपता के अभाव में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है। मा0न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में **योजित रिट याचिका संख्याः 16946(एसएस)2020 देवेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0राज्य** व अन्य में पारित आदेश में स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार से उल्लिखित किया गया है :–

1. डीजी–चार–स्था0(विविध)/2017 दिनांकः 09.05.2017
2. डीजी–चार–स्था0(निदेश)/2017 दिनांकः 22.06.2017
3. डीजी–चार–स्था0(निर्देश)/2017 दिनांकः 22.07.2017
4. डीजी–चार–(स्था0)निर्देश–1/2017दिनांकः01.08.2017

1. HC WP No. 2894(SS)2020 order Dt 03.02.2020
2. HC WP No. 6253/2020 order Dt 27.08.2020
3. HC WP No. 16944(SS)2020 order Dt 22.10.2020

" This Court has made it very clear that transfer orders cannot be implemented after more than a year and in such an eventuality if the transferring authority is of the opinion that the person transferred needs to be sent to the place of transfer, it should revisit the matter taking into consideration the circumstances which may have arisen in the interregnum that is within the period the order of transfer was not implemented and thereafter fresh order should be passed, as, in some cases it has been found that on account of such an eventuality the person has reached the verge of retirement and as per the policy of the Government he is not liable to be transferred except on choice posting to his home district, yet, because of implementation of stale orders passed more than a year or so they are being put to hardship unless of course there was a stay of the transfer order by any Court or by the authorities of the police personnel himself. In the latter eventuality of course such orders can be implemented as and when benefit of the stay order ceases to be available.

In this view of the matter it has become necessary to issue a direction to the Director General Of Police, U.P., Lucknow to kindly ensure that what has been held in the aforesaid judgments and umpteen number of similar judgments passed in other cases pertaining to police personnel are strictly adhered and stale transfer orders are not sought to be implemented by issuing relieving orders instead the matter is revisited by the transferring authority to ascertain as to whether such a transfer should be made even if afresh or there has been a change in the circumstances which does not require the posting of the personnel to the transferred place, except the exceptional circulars mentioned above in which case they can be implemented even belatedly or in case of extreme administrative exigency this can be done. In such cases these reasons should be mentioned in the relieving orders.

It has already been observed by this Court in its order dated 14.10.2020 quoted hereinabove that repeated relieving orders are being passed by the sub-ordinate officials in the police department in the State of U.P. in violation of what has been held by this Court as referred hereinabove. This leads to unnecessary litigation and wastage of time and energy of the Court.

It is made clear that in future if such actions are taken leading to filing of writ petitions then this Court would be compelled to consider stringent action against the concerned personnel which will include imposition of heavy cost as it seems there is no other way to prevent unnecessary orders and litigation based thereon before this Court. "

निर्देशः–

1– मुख्यालय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अराजपत्रित अधिकारियो/कर्मचारियों के निर्गत स्थानान्तरण आदेश का तत्काल कियान्वयन कराते हुए प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्रातिशीघ्र कार्यमुक्त किया जायेगा।

2– सम्बन्धित स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक माह समीक्षा की जायेगी और कार्यमुक्त न होने के सम्बन्ध में सूचना अपनी टिप्पणी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। अनुपाल न होने की दशा मे सम्बन्धित अधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र भेजकर कार्यमुक्त कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित स्थापना बोर्ड की होगी।

3– विषम परिस्थितियों में यदि किसी कर्मी को कार्यमुक्त करना सम्भव नहीं होता है तो एक रैंक ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस स्थापना बोर्ड को भी दी जाये। स्थानान्तरण पर विलम्ब से कार्यमुक्त करते समय कार्यमुक्ति आदेश में विलम्ब का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

4– प्रायः यह देखा गया है कि स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में संबंधित जनपद/इकाई प्रभारी को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर उसे संबंधित पुलिस स्थापना बोर्ड को प्रेषित कर दिया जाता है और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रतीक्षा करते हुए संबंधित कर्मियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। अतः पुलिस स्थापना बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यावेदन प्राप्त होने के 03 माह के भीतर उसपर निर्णय लेते हुए संबंधित को अवगत करायें।

यदि संबंधित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा 03 माह के भीतर प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किया जाता है तो संबंधित कार्मिक का प्रत्यावेदन स्वतः निरस्त मानते हुए उन्हें तत्काल स्थानान्तरित जनपद/इकाई हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाय। परन्तु प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, ताकि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में उत्पन्न होने वाली असहज स्थिति से बचा जा सके। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित कार्मिकों को जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा अकारण विलम्ब से कार्यमुक्त किये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना होने एवं किसी प्रकार वाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बंधित अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(एच.सी. अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उ0प्र0 ।